



2026:AHC:51259

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3414 वर्ष 2026

सचिन कुमार यादव

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार यादव और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. गुप्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार शायद न हो विशेष रूप से तब जब भर्ती एजेंसी जबलपुर में स्थित है और केवल इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता गोरखपुर का निवासी है इस न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया जा सका।
4. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा 'राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ' (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108 मामले में प्रतिपादित विधि के आलोक में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है; रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में संपर्क कर सकता है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आज प्रस्तुत निर्देश रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं और उन्हें परिशिष्ट 'A' के रूप में अंकित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।